न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख

24.01.2020

उत्पाद वाद संख्या-12/2020

राज्य

बनाम

1. अज्ञात BOLERO.

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद **डगरूआ थाना कांड सं0-66/2019 दिनांक 12.05.2019** के आलोक में प्रारम्भ की गई है। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 3162/हि0शा0 दिनांक-17.08.2019** द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि **उक्त वाहन की जांच दिनांक 12.05.2019 को बरसौनी टॉलप्लाजा के पास की गई। जप्त वाहन से ROYAL STAG WHISKY का 379 बोतल (प्रति बोतल 375 मि0ली0), ROYAL STAG WHISKY का 56 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0) एवं IMPERIAL BLUE WHISKY का 289 बोतल (प्रति बोतल 375 मि0ली0) विदेशी शराब** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

जांच के क्रम में में पाया गया कि उक्त वाहन पर निबंधन सं0-**BR06P-2587** अंकित है। इस निबंधन सं0 से संबंधित वाहन मालिक का नाम / पता जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया से प्राप्त किया गया। जिसमें पाया गया कि उक्त जप्त वाहन जिसपर निबंधन सं0-**BR06P-2587** अंकित है, वह **THREE WHEELER PASSANGER** का निबंधन सं0 है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि जप्त वाहन पर फर्जी निबंधन सं0 अंकित कर शराब का परिवहन किया जा रहा था। इसके बावजूद जप्त वाहन के मालिक को न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना दिनांक 18.01.2020 को दैनिक भाष्कर समाचार पत्र में प्रकाशित कराई गइ, परन्तु जप्त वाहन के मालिक उपस्थित नहीं हुए।

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जाँच के क्रम में **उक्त वाहन की जांच दिनांक 12.05.2019 को बरसौनी टॉलप्लाजा के पास की गई। जप्त वाहन से ROYAL STAG WHISKY का 379 बोतल (प्रति बोतल 375 मि0ली0), ROYAL STAG WHISKY का 56 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0) एवं IMPERIAL BLUE WHISKY का 289 बोतल (प्रति बोतल 375 मि0ली0) विदेशी शराब** बरामद हुआ है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। विपक्षी द्वारा जप्त वाहन पर अन्य वाहन का निबंधन सं0 अंकित कर शराब का परिवहन किया जा रहा था। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि "उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।" स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 "विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्त्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।" ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत् प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है। स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। साथ ही विपक्षी द्वारा अपने वाहन में फर्जी निबंधन सं0 अंकित कर शराब का परिवहन किया जा रहा था। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त BOLERO** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।